न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —52 / 2018 अपील (RCMS/2018/00052)
पंजीयन दिनांक —25.04.2018
निर्णय दिनांक —26.02.2019

1. श्री शंकरलाल पिता श्री मावजी वेदावत, निवासी सगतडा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती पुष्पा पिता श्री मावजी वेदावत धर्मपत्नि श्री नारायण नाथुओत, निवासी सगतडा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री कुबेर पिता श्री मावजी वेदावत, निवासी सगतडा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—
1. श्री लोकश मेनारिया — वकील अपीलान्ट
2. श्री खेमराज डांगी — वकील रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा, प्रकरण संख्या 02 / 2017 दिनांक 30.01.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 26.02.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा, प्रकरण संख्या 02 / 2017 दिनांक 30.01.2018 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत सगतडा के नामान्तरकरण संख्या—253 दिनांक 05.07. 2001 को निरस्त कराने बाबत अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्टस् व रेस्पोडेंट के पिता मावजी वेदावत का स्वर्गवास होने उपरान्त विरासत से नामान्तरकरण अकेले रेस्पोडेंट कुबेर के नाम स्वीकृत कर दिया जबकि श्री शंकरलाल, कुबेर दो पुत्र

एवं श्रीमती पुष्पा पुत्री है। नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। जब नामान्तरकरण की जानकारी हुई तब नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा द्वारा उक्त अपील मयाद बाहर शुमार कर निर्णय दिनांक 30.01.2018 से यह कथन करते हुए निरस्त की–

> ''जवाब पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड ग्राम पंचायत सगतडा द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 05.07.2001 को इंतकाल 253 खोला गया जबकि अपीलान्ट सं.1 व 2 को इस बात की जानकारी ना हो। यह तथ्य असत्य प्रतीत होता है और अपीलान्ट स. 2 तो ग्राम सेरिया की ही निवासी है तथा सेरिया से सगतडा कुछ ही दुरी पर स्थित है और भाई बहन में आपस में कभी बातचीत नहीं हो यह भी असंभव लगता है। अपीलान्ट स. 1 व 2 को यह जानकारी होते हुए भी कि पिता की मृत्यु के पश्चात इंतकाल खोला जायेगा जानकारी के बावजुद भी अपीलान्ट द्वारा 15 वर्ष बाद अपील पेश की गई जो मियाद अवधि के बाहर होने से खारिज योग्य है।
>
> हमारे द्वारा दोनों पक्षकार अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं मनन किया गया जिससे यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद अवधि बाहर होने के कारण खारिज योग्य है जो अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।''

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 05.02.2019 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टस् ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके अपने आपको मावजी का एकमात्र वारिस बताकर विरासत का नामान्तरकरण अकेले अपने नाम पर खुलवाया जो अवैध होकर आरम्भ से शुन्य है। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तिरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व अपीलान्टस् को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और न ही सूचना पत्र ही जारी किया। अपीलान्टस् को जैसे ही उक्त नामान्तरकरण की जानकारी जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई जो अपीलान्टस् ने अविलम्ब जानकारी की दिनांक से अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् अपीलान्टस् की अपील को गुणावगुण पर सुनने की बजाय जल्दबाजी में मयाद के बिन्दु पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय को इस बात पर विचार किया जाना चाहिए था कि जो व्यक्ति अपने आपको पिता की एकल सन्तान बताकर नामान्तरकरण गुप्त रूप से

स्वीकृत करवा सकता है, वह कभी वास्तविक तथ्य भाई बहन को क्यों बताएगा, क्योंकि वह पुरी भूमि को हडपना चाहता है। अपीलान्टस् मृतक मावजी के जायन्दा पुत्र व पुत्री होकर विधिक वारिस है, जिनका भी वादग्रस्त भूमि में हित व अधिकार रेस्पोडेंट की भांति निहित है। विधि का सिद्धान्तों के अनुसार यदि प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होकर पुख्ता हो तो मयाद का बिन्दु गौण मात्र है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाए जाने का अनुरोध किया है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील अपीलान्ट के निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए– RBJ(5) 1998 P. 487, RRT 2009(1) P. 468.

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्टस् ने अधीनस्थ न्यायालय में 15 वर्ष 6 माह की अवधि बाद प्रस्तुत कि जिसका सुसंगत व संतोषप्रद कारण प्रकट नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनकर विलम्ब की अवधि का सुसंगत व संतोषप्रद कारण के अभाव में धारा–5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को विधि अनुरूप अस्वीकार कर अपील खारीज की गई। श्री शंकरलाल पिता मावजी भारतीय नागरिक नही है। उसने विगत 40 वर्षों का कोई भी सरकारी दस्तावेज यादि पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज गांव सगतडा या भारत देश का नहीं है। उक्त अपीलान्ट अमेरिका का नागरिक है। वह सन् 2001 में भी भारतीय नागरिक न होकर अमेरिकी नागरिक था। उक्त अपीलान्ट ने फर्जी तरिके से दिनांक 15.01.2018 को आधार कार्ड बनाने हेतु आवेदन किया जिसकी रसीद अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में बहस से पूर्व पेश की। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विदेशों में रहने वाले या विदेशी नागरिक व्यक्ति पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अपीलान्ट श्री शंकर पिता मावली गांव सगतडा एवं भारत देश को छोडे 40 वर्ष से अधिक समय हो गया है। कानुनन भी उक्त अपीलान्ट को अपने पैतृक चल व अचल सम्पत्ति में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। मावजी पिता मोगजी का स्वर्गवास दिनांक 24.08.1997 को नहीं होकर दिनांक 04.09.1997 को हुआ। अपीलान्ट संख्या–1 स्वंय ही विगत 40 वर्षों से अधिक समय से अमेरिका में निवासरत था, उसके पिता की मृत्यु के समय भी वह अमेरिका में था जिससे अनुमान के आधार पर गलत मृत्यु दिनांक अंकित कर रहा है। हिन्दु पुत्रियां जिनके पिता की मृत्यु सन् 2005 से पूर्व हो गई, ऐसी अवस्था में पुत्री विरासत के आधार पर पिता की सम्पत्ति में हकदार व अधिकारी नहीं होती है। अपीलान्ट न ही व्यक्तिगत रूप से व न ही कभी संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर कब्जा रहा है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट आरम्भ से काबिज होकर कब्जा काश्त चला रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सगतडा का निर्णय विधि अनुरूप होकर पुरे कोरम की सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया जो की न्याय व विधि के अनुरूप है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से एग्रीव्ड पर्सन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं है। 15 वर्ष 6 माह के लम्बी अवधि का सुसंगत कारण के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय संगत अपीलान्टस् की अपील को अस्वीकार किया है। जब भी मयाद का प्रश्न उत्पन्न होता है, तब सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु को ही निस्तारण करना होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के अनुरूप है, जिससे अपील निरस्त फरमाई जावें। अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पोंडेंट ने निम्नांकित न्यायिक दृष्टात प्रस्तुत किये—RRT 2013(1) P. 61, RRT 2013(1) P. 83, RRT 2011(1) P. 421, RBJ 2007 (14) 438 (SC), RRT 2018(2) RRT 1154.

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों पर ससम्मान मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथन में कहा गया कि अपीलान्टस् मृतक मावजी के जायन्दा पुत्र व पुत्री होकर विधिक वारिस है, जिनका भी वादग्रस्त भूमि में हित व अधिकार रेस्पोडेंट की भांति निहित है। ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने से पूर्व अपीलान्टस् को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और न ही सूचना पत्र ही जारी किया। वकील रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलान्ट संख्या–1 भारतीय नागरिक न होकर अमेरिका का नागरिकता प्राप्त कर चुका है, भारतीय नागरिक होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं। हिन्दु पुत्रियां जिनके पिता की मृत्यु सन् 2005 से पूर्व हो गई, ऐसी अवस्था में पुत्री विरासत के आधार पर पिता की सम्पत्ति में हकदार व अधिकारी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा ने निर्णय दिनांक 30.01.2018 से ग्राम पंचायत सतगड़ा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 573 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने के आधार पर खारिज की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नामान्तरण स्वीकृति से पूर्व अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया एवं न ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद है। नामान्तरण स्वीकृति से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो, ऐसी कार्यवाही विधि अनुसार प्रारम्भ से ही अवैध होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत प्रमाणित होना प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में मामला गुणावगुण पर विचारण योग्य होने से एवं सुलभ न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को तकनीकी आधार पर न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा का निर्णय दिनांक 30.01.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर एवं तथ्यों की जांच करा नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official